प्रेषक,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– 3812। /वसली/2017–18 दिनांक: 05.05.17

महोदय,

कृपया इस पत्र के साथ संलग्न उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ के एक लाख से अधिक के बड़े बकायेदारों की शाखावार सूची का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रदेश में रू0 एक लाख से बड़े बकायेदारों की संख्या 103209 है तथा इन पर बैंक का कुल रू0 2023.17 करोड़ बकाया है।

इस सम्बन्ध में बैंक द्वारा अवगत कराया गया है कि बैंक के निरन्तर प्रयासों के बावजूद सम्बन्धित बकायेदारों द्वारा बकाये की धनराशि अदा नहीं की गई जिससे बैंक की वित्तीय स्थिति दिनों–दिन खराब होती जा रही है। यह भी संज्ञान में लाया गया है कि जब रू0 एक लाख से अधिक के बड़े बकायेदारों के विरूद्ध वसूली हेतु बैंक कार्मिकों द्वारा सम्बन्धित तहसीलों में उप जिलाधिकारी/तहसीलदारों से वसूली में सहयोग प्रदान करने हेतु सम्पर्क किया जाता है तो उनके द्वारा बैंक कार्मिकों को यह कहकर अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया जाता कि सम्बन्धित बकायेदार के विरूद्ध उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जा सकती।

इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने मासिक बैठकों में इस बैंक के प्रबन्धकों के साथ भी बकाया देयों की नियमित रूप से समीक्षा करें, साथ ही साथ सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/तहसीलदारों को इस आशय का निर्देश प्रसारित कर दें कि यदि बैंक कार्मिकों द्वारा उनसे रू0 एक लाख से बड़े बकायेदार के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु सहयोग मांगा जाता है, तो उन्हें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा रू0 एक लाख से

बड़े बकायेदारों के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही से सम्बन्धित दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत यथावश्यक सहयोग प्रदान करें ताकि बैंक की वसूली में वृद्धि करायी जा सके।

(हरिराज किशोर)
आयुक्त एवं निबन्धक

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1–समस्त शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक को इस निर्देश के साथ कि वे अपने क्षेत्र के उप जिलाधिकारी और तहसीलदार से सम्पर्क कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।

2– समस्त जनपद/मण्डल पर्यवेक्षक, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक को इस निर्देश के साथ कि अपने जनपद/मण्डल के भ्रमण के समय शाखावार, इस स्थिति की समीक्षा कर लें और आवश्यकतानुसार स्वयं उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार से सम्पर्क कर इस प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।

3– समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता उत्तर प्रदेश।

4– समस्त संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता उत्तर प्रदेश।

5–उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर)को बैंक की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आयुक्त एवं निबन्धक